प्रेस विज्ञप्ति
17/02/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स साई आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में मैसर्स डी एस होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, सिकंदर सिंह, विकास छोकर और अन्य से संबंधित 8.94 करोड़ (लगभग) रुपए की चल संपत्तियां और 27.57 करोड़ रुपए (लगभग) कीमत 9 अचल संपत्तियाँ कुल मिलाकर 36.52 करोड़ रुपए (लगभग) अंतिम कुर्की आदेश 15/02/2024 द्वारा अंनतिम रूप से कुर्क की हैं

ईडी ने मैसर्स साई आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़े अन्य संबंधितों के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जिसमें बाहरी विकास शुल्क (ईडीसी) और आंतरिक विकास कार्यों के एवज में जारी लाइसेंस प्राप्त कराने के लिए बैंकों के समक्ष कुछ बैंक गारंटियों सहित फर्जी/जाली दस्तावेज जमा करके धोखाधड़ी और जालसाजी करने के आरोप है। मैसर्स साई आइना फार्म्स प्रा. लिमिटेड ने किफायती आवास योजना के तहत, सेक्टर 68, गुरुग्राम में घर उपलब्ध कराने के वादे पर, 1500 घर खरीदारों (लगभग) से 363 करोड़ रुपए लगभग एकत्र किए। हालाँकि, उक्त इकाई मकान वितरित करने में विफल रही और उसे पूरा करने और सौंपने की कई समय सीमाएँ चूक गईं। घर खरीदार डेढ़ साल से माहिरा ग्रुप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन/धरना दे रहे हैं और वादा किए गए घरों की जल्द से जल्द डिलीवरी की मांग कर रहे हैं।

ईडी की जांच से पता चला कि उक्त इकाई ने समूह संस्थाओं में फर्जी निर्माण व्यय की बुकिंग करके घर खरीदारों के पैसे की हेराफेरी की। मैसर्स साई आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स डी एस होम कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड सहित माहिरा समूह की कंपनियों के निदेशकों/प्रवर्तकों द्वारा फर्जी बिल/चालान प्रदान करने वाली संस्थाओं से फर्जी खरीद के बराबर नकद वापस प्राप्त किया गया था। इस तरह से गबन किए गए पैसे का इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया था। निदेशकों/प्रमोटरों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए घर खरीदारों के पैसे को ऋण के रूप में अन्य समूह संस्थाओं में भेज दिया [जो वर्षों से बकाया है]।

ईडी की जांच से यह भी पता चला कि माहिरा समूह की कंपनियों के निदेशकों/प्रवर्तकों ने मैसर्स साई आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड से लगभग 113 करोड़ रुपए [सेक्टर 68 हाउसिंग प्रोजेक्ट के घर खरीदारों से संबंधित] अकेले, मैसर्स साई आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड से फर्जी खर्चों, समूह संस्थाओं और अन्य को ऋण के माध्यम से गबन किया गया है।

आगे की जांच जारी है.